सूचना का अधिकार

To be issued in Hindi
RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/53/2013-RTI

Government of India/भारत सरका

Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय

New Delhi, Dated the 29th May, 2014

ORDER

Sub: First Appeal preferred by Shri Parmanand Prasad Mishra RTI Act, 2005- regarding.

Whereas Shri Parmanand Prasad Mishra vide his application dated 19/12/2013 under RTI Act, 2005(received in this Ministry on 27/12/2013), had sought information regarding action taken on letter No3592/ID-1697/13/DIC dated 13/12/2013 sent by Delhi Police to this Ministry.

2. Whereas CPIO vide his letter No. 43020/01/2014-RTI dated 14.02.2014 has already replied to the applicant.

3. Whereas, having not satisfied with the reply given by the CPIO as above, Shri Parmanand Prasad Mishra has preferred first appeal dated 11/03/2014 received in this Ministry on 12/03/2014.

4. Whereas Shri Parmanand Prasad Mishra is informed that as per the records of the nodal points which receive letters in respect of this Ministry; the above referred letter was not received in their office. Therefore, it would not be possible for this Ministry to furnish any information with reference to action taken with reference to the said letter. Keeping in view of this, the reply furnished by the CPIO is in order.

5. The Appeal of the appellant is accordingly disposed of.

(Satpal Chouhan)
Joint Secretary & Appellate Authority
Ph. No. 23093178

Shri Parmanand Prasad Mishra,
Main Post Office,
Muzaffarpur
Bihar-842001.

Copy alongwith a copy of RTI application and appeal of Shri Parmanand Prasad Mishra to SO(IT Cell) for uploading the RTI application, appeal and reply in the MHA website with search facility based on key words under the heading-RTI Act- Information under 4(1)(b) of the Act.

सेवा में
श्री मान संयुक्त सचिव (प्रशासन) (श्री सतपाल चौहान)
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नयी दिल्ली

संदर्भ – गृहमंत्रालय पत्रांक A 43020/01/2014 - RTI दिनांक 14.2.2014

विषय – गृहमंत्रालय अपनी कार्यवाही करने कि कृपा करें के लिए या दिल्ली पुलिस द्वारा कांड अंकित कराने कि प्रार्थना

महाशय,
नम्र निवेदन के साथ कहना है कि

(1) CPIO की हैसियत से श्री निवास प्रवीण के पत्र के विरुद्ध 1st अपील	10.3.14
CPIO को पत्र	6.3.14
(2) चुनाव आयोग, D.G.P एवं DCP को पत्र	3.3.14
(3) CIC डायरी क S-139249 पर पत्र	17.2.14
(4) PHQ नयी दिल्ली पत्र	28.2.14
(5) थाना प्रभारी बराटी OP, राष्ट्रपति भवन, डी.जी.पी को पत्र	25.2.14
(6) राष्ट्रपति भवन, सी.जे.आई, D.G.P एवं DCP को पत्र	20.2.14
(7) D.C.P. पत्र	21.2.14
(8) Joint Secty I Dept of Justice को पत्र	

अतः श्री मान से प्रार्थना है कि कृपाकर अपने स्तर से कार्यवाही करने कि कृपा करें।

चुंकि पूर्व में भी राष्ट्रपति भवन से RTI प्रश्न पर श्री मान के CPIO श्री एस.के. भटनागर पत्रांक A.43020/2/2007-RTI दिनांक 31.10.2007 एवं श्री एस.एम. कुमार जाक 14035/363/2007-UTP दिनांक 6.11.2007 है। अर्थात मेरा निवेदन है कि संबंधित CPIO RTI प्रश्न को गुमराह कर देते हैं उदाहरण स्वरूप गृह मंत्रालय पत्र 14.2.14 (जिसपर प्रथम अपील 10.3.14 है) का बिन्दु (2) देखने कि कृपा करें कि दिल्ली पुलिस का पत्र 14.8.13 प्राप्त ही नहीं हुआ (जिस संदर्भ में श्री एस एम भंडारी ने दिनांक 10.1.14 निर्णय हुआ था) के पत्रांक- A/43020/01/2014- आर.टी.आई. दिनांक 14.2.14 लेकर जनर-मंतर पर कल एक तरफ सी.जे.आई निवास पर धरना लेकर जनर-मंतर पर करना है एवं कोई कार्यवाही न्याय देने हेतु नहीं करते है। इस कारण श्रीमान से प्रार्थना है कि Zero FIR करने का आदेश केन्द्र सरकार की दिल्ली पुलिस या केन्द्रीय जाँच एजेन्सी को दें या गृहमंत्रालय (कानून मंत्रालय) खुद न्याय दें। मैं किसी सुप्रीमकोर्ट से न्याय दिलाने कि कृपा करें या खुद न्याय दें। मैं किसी भी तरह सबूत/प्रतीज्ञा/प्रमाण बनाने को तैयार हूँ जो 1975 से आजतक न्याय मिलने में दिक्कत किया।

नोट- जलविभाग का अभिलेखालय एवं बिहार पुलिस कि डासीमिना का परिशिष्ट पर बयान लेकर, जाँचकर, प्रमाणसत्यापित कर न्याय का रास्ता निकाले जिसमें वैज्ञानिक एवं मेडिकल जाँच भी हो।

दिनांक 11.3.14

श्री मान का भिखारी
परमानन्द प्र. मिश्रा
पु. गो. बां. मुजफ्फरपुर
बिहार - 842001

मो.- 08577025369
09301455435
9250766000 (व्यक्तिगत)

श्री मान संयुक्त सचिव (प्रशासन)
गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नयी दिल्ली-

संदर्भ- गृह मंत्रालय पत्रांक A.43020/01/2014

विषय - गृह मंत्रालय कृपाकर अपना कार्यवाही करें कि प्रार्थना

महाशय, आवेदन 11.3.14 मे 8 बिन्दु दर्ज है जो अनुलग्नक स्वरूप है कि श्री मान को कठिनाई न हो।

बिन्दु-2- चुनाव आयोग से चुनाव कार्य न करने से है कि प्रति DGP फैक्स
बिन्दु-3- सुप्रीमकोर्ट के विरुद्ध 2nd अपील CIC से है।
बिन्दु-4 — PHQ से ADDCP संसद मार्ग को निर्देश की प्रति है।
बिन्दु-5 — थाना प्रभारी बरांटी ओ.पी. एवं DGP के साथ P.O.I.(FAX) है।
बिन्दु-6 — P.O.I., CJI., DGP, DCP सभी को FAX से 25.2.14 को
बिन्दु-6 — P.O.I., CJI., DGP, DCP सभी को FAX से 25.2.14 को CJI निवास पर DHARNA
जिसके अंतिम पारा मे कहा गया है कि
11.5.14 करनी पड़ सकती है।

बिन्दु-8 - Joint Secty II Dept of Justice को पत्र एवं प्रतिलिपि
DGP एवं O.P. को दिनांक 21.2.2014 है।
अतः श्री मान से प्रार्थना है कि आप अपनी कार्यवाही कि गति कृपाकर तीव्र करे।
यदि बिहार पुलिस के DGP से कार्यवाही करावें कि प्रार्थना करने का अधिकार है व उनसे कार्यवाही करावें कि प्रार्थना

प्रतिलिपि - श्री अभयानन्द डी.जी.पी. बिहार सरकार FAX 06122230...

संदर्भ - श्री मान को दिया गया फैक्स आवेदन 11.2.14, 12.2.14, 21.2.14, 24.2.14, 25.2.14, 28.2.14, 6.3.14 एवं अन्य
मो. 8579025369, 9801455435 से अनेको SMS.

महाशय, तत्काल मे उपद्रव पर बरांटी O.P. से कार्यवाही करें कृपा करें कि वे महिला कोर्ट मे भेजें उपर अंकित बिन्दु
5 जांच जिसमे षडयंत्र रचनेवाले, संरक्षण देने वाले एवं सहयोगी पुलिस कि मानसिकता का खुलासा हो, क्या, निर्देश दे सकते कि पुलिस कि मानसिकता का खुलासा हो रहा है पर क्या बिहार इसी मानसिकता का शिकार मैं हो रहा हूँ, तो है, नहीं तो केन्द्र को अभी पुलिस संरक्षण देने मे विफल है, तो है, नहीं तो केन्द्र को अभी है कि प्रार्थी कारण जीवन उत्पीड़न में है।

दिनांक 12.3.14
मो.- 08579025369
09801455435

श्री मान का
परमानन्द प्र० मिश्रा
ग्रा.डा.था. मुजफ्फरपुर
बिहार - 842001

• under transfer from MUZ H.P.O to MUZ court (जिला) office.

(1) राष्ट्रपति (2) सी. जे. आई. (3) गृह सचिव (4) विदेश सचिव (5) रक्षा सचिव (6) दिल्ली पुलिस (7) संयुक्त सचिव Law & Justice

नयी दिल्ली - 110004, 11, 1, 11, 11, 1, 11

विषय - भारतीय संविधान कि व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है पर कार्यवाही।

निवेदन पूर्वक कहना है कि कृपाकर कार्यवाही करवे एवं सूचना दें

	RTI
(1) राष्ट्रपति भवन से श्री निरंजन सरकार द्वारा अग्रसारित पत्र 26.8.13, 28.11.13, 28.11.13, 28.11.13, 28.11.13 पर न्यायमंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय से कार्यवाही करावे।	संयुक्त सचिव सोशल सेक्रेटरी एवं F. कृपाकर CPIO पत्रांक 1526/RTI/11/13 दिनांक 11.12.13 पर प्रथम अपील के तहत सूचना दे दिया
(2) यदि सुप्रीम कोर्ट मैं देख न्याय देने कि स्थिति में नहीं है कि स्थिति में था महत्व का कोई अधिकार क्या नहीं है।	श्री सुनील बामेस FAA पत्रांक FIVR A441 दिनांक 19.11.13 के विरुद्ध द्वितीय अपील CIC में भेज दी गयी है।
(3) गृहमंत्रालय कृपाकर दिल्ली पुलिस पत्रांक 2697/सिकायत शाखा नयी दिल्ली दिनांक 19.9.13 पर कार्यवाही कृपाकर करें।	CPIO गृहमंत्रालय को दिल्ली पुलिस द्वारा भेजा गया RTI प्रश्न पत्रांक 3592 आई सी-1697/13/डी आई सी नयी दिल्ली दिनांक 13.12.13 पर सूचना दें।
(4) विदेश मंत्रालय श्री एस सिंघल कुमार उप निदेशक पत्रांक L-15011/5/2013 दिनांक 22.11.13 पर उचित कार्यवाही करें।	CPIO MEA L&T D.V. कृपाकर सूचना दें जो विदेश मंत्रालय को कुमार पत्र 22.11.13 में भी दर्ज है।
(5) रक्षा सचिव राष्ट्रपति भवन पत्रांक P1/E/28113 0186 दिनांक 28.11.13 पर उचित कार्यवाही कृपाकर करें।	X
(6) अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को सूचनार्थ क्या आपके रेकॉर्ड के आदेश का महत्व नहीं है।	दिल्ली पुलिस के श्री एस. बी. एस. त्यागी को प्रथम अपील श्री मति मधुरवर्मा IPS पत्रांक 3592/ID/1697/13/DIC दिनांक 13 के विरुद्ध 1st अपील (RTI)

(7) संयुक्त सचिव कानून एवं न्यायमंत्रालय - श्री एस श्रीवास्तव यू. एस. पत्रांक L-15012/03/2013-Juo dated 13.5.13 के क्रम मे विदेश मंत्रालय पत्र 22.11.13 एवं राष्ट्रपति भवन पत्र 26.8.13, 28.11.13, 28.11.13 पर अब कृपाकर टालमटोल न किये दें। श्री - भेजा गया पत्र 5.12.13

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पत्रांक 00001-1311090289 (2) 00001-2912

अनुलग्नक (1) 00199 के क्रम मे D.G. Police Bihar पत्र 2.3.10 एवं, 10.2.10 पर कृपाकर

" (2) प्रधान डाक सचिव भारत सरकार को आवेदन पत्र 18.12.13

दिनांक 19.12.13
9801452435

श्री मान का विश्वासी
परमानन्द प्र. मिश्रा
प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर
बिहार - 842001

८ राष्ट्रपति दिल्ली, ७. सचिव ③ प्रधानमंत्री ④ विदेश सचिव ⑤ गृह सचिव ⑥ दिल्ली पुलिस ⑦ संयुक्त सचिव Law & Justice

नयी दिल्ली - 110004, 11, 1, 11, 11, 1, 11

विषय - भारतीय संविधान कि व्यवस्था की रक्षा के मुद्दे पर कार्यवाही

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि कृपाकर कार्यवाही करावें एवं सूचना दें

Action	RTI
① राष्ट्रपति भवन से श्री निरंजन सरकार द्वारा अपने पत्र 26.8.13, 28.11.13, 28.11.13, 28.11.13, 28.11.13 पर न्यायमंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से कार्यवाही करावें।	संयुक्त सचिव सोशल सेक्रेटरी एवं F कृपाकर CPIO पत्रांक 1626/RTI/11/13 दिनांक 11.12.13 पर प्रथम अपील की गई सूचना के विरुद्ध
(2) यदि सुप्रीम कोर्ट महत्व न्याय कि स्थिति के गंभी है कि स्थिति में महत्व का कोई अधिकार रखा नहीं है।	श्री सुनील कुमार FAA पत्रांक FVR A441 दिनांक 15.11.13 के विरुद्ध द्वितीय अपील CIC में भेज दी गयी है।
(3) गृह मंत्रालय कृपाकर दिल्ली पुलिस पत्रांक 2697/दिल्ली पुलिस नयी दिल्ली दिनांक 14.9.13 पर कार्यवाही कृपाकर करें।	CPIO गृहमंत्रालय को दिल्ली पुलिस को भेजा गया RTI एवं पत्रांक 3545 आई डी-1697/13/डी.आई.डी. नयी दिल्ली दिनांक 13.12.13 पर सूचना दें।
(4) विदेश मंत्रालय श्री एस. सिंगल कुमार पत्रांक विदेश पत्र. प्रेस प्र. पत्रांक L-5571/SSPA/2013 दिनांक 22.11.13 पर उचित कार्यवाही करें।	CPIO MEA LET Div. कृपाकर सूचना दें जो विदेश मंत्रालय श्री कुमार पत्र 22.11.13 में भी दर्ज है।
(5) गृह सचिव राष्ट्रपति भवन पत्रांक PIE/2811130186 दिनांक 28.11.13 पर उचित कार्यवाही कृपाकर करें।	X
(6) अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को सुनवाई का आदेश Zero FIR के आग्रह को महत्व नहीं है।	दिल्ली पुलिस के श्री एस.बी.एस. त्यागी को प्रथम अपील श्री जाति मधुरवेदी IPS पत्रांक 3532/12/1697/13/DIC दिनांक 13 के विरुद्ध 1st अपील (RTI)

③ संयुक्त सचिव कानून एवं न्यायमंत्रालय - श्री एन. श्रीवास्तव यू. एस. पत्रांक L-15012/03/2013-Jud dated 13.5.13 के क्रम में विदेश मंत्रालय पत्र 22.11.13 एवं राष्ट्रपति भवन पत्र 26.8.13, 28.11.13, 28.11.13 पर अभी कृपाकर ट्रान्सफर न होने दें। — भेजा गया पत्र 5.12.13

प्रतिलिपि - ① मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पत्रांक 00001-13110 30289 ② 00001-2912 अनुलग्नक ③ 00199 के क्रम में D.G. Police Bihar पत्र 2.3.10 एवं 10.2.10 पर कृपा

② ⑨ गृह सचिव भारत सरकार को आवेदन पत्र 18.12.13

दिनांक 19.12.13
9801455435

श्री भगवान का विश्वासी
परमानन्द प्र. मिश्रा
प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर
बिहार - 842001

सेवा मे,   R.T.I. ACT 2005
लोक सूचना पदाधिकारी
द्वारा - जिला पदाधिकारी
हाजीपुर वैशाली

मै दस रुपया का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 16F-[illegible] संलग्न कर निम्न सूचना चाहता हूँ जो M.L.H.O. से 5.12.12 को [illegible]

प्रश्न-① मालगुजारी / भूमि राजस्व रु-२६ [illegible] भुगतान कर रसीद कटाने के प्रमिसरी [illegible] नही हैं इस निमित्त की प्रति दें।

प्रश्न-② यदि कोई भूमि किसी गैर के द्वारा हड़पा लिया जाये एवं प्रशासन एवं पुलिस द्वारा मामला लटका रहे तो स्थिति में उक्त भूमि, का राजस्व का देनदार कौन होगा पर निर्देश दें।

मौजे - [illegible] खाता नं. 133 खेसरा 2463 मे केश [illegible] है एवं [illegible] हेतु रसीद कि आवश्यकता है एवं कर्मचारी महोदय [illegible] रसीद नहीं [illegible] (मेरा आबंटित जमीन पर विवाद है खाता 131 खेसरा 2462, 1855 खाता 133 खेसरा 2463, 64, 65 [illegible] ग्राम प्रभारी द्वारा अंचलाधिकारी निर्देश को जारी कराने हेतु भी लिखा गया है। खेसरा 2462 मे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क भी बना [illegible] है जिस [illegible] कि देखरेख मे मेरे बिना अनुमति है

प्रश्न-③ - खाता 131 खेसरा 2462 मे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बनाने की अनुमति किस नियम से किस विभाग [illegible]

पटना ग्राम + पोस्ट [illegible] बरांटी [illegible] थाना [illegible] जिला वैशाली से संबंधित हैं।

[illegible]

प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार सरकार पटना
डी.जी.पी. - बिहार सरकार पटना

[illegible] मुख्यमंत्री सचिवालय पत्रांक 00001 - 1311090289 ~~[illegible]~~ एवं 00001 - 2912100189 है [illegible] मे पुलिस मुख्यालय पत्रांक [illegible] 1300/[illegible] दिनांक 2.3.10 एवं [illegible] दिनांक 10.2.2010 का लंबित रहना अपराध का [illegible] नहीं होता है कार्यवाही क्या इसलिए लंबित है कि सरकार के अधिकारी भी अपराधी के साथ हैं। [illegible] मालगुजारी न भुगतान करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी होगी न कि मेरा

आपका
दिनांक 5.12.2013
9801455435
परमानन्द प्र. मिश्र
[illegible] मुजफ्फरपुर
बिहार

0/1230/96077

[illegible]

सेवा में पदा / ए.डी.जी. / निदेशक, एस.पी.बी.-1 (डाकभवन)

श्रीमान् श्री हरि पी. गोपीनाथन डी.जी. डाक डाकभवन नयी दिल्ली

संदर्भ — निदेशालय पत्रांक 40-PMO/PG/-2012 को स्थानांतरित कर एस.पी.बी.-1 से निस्तारण करने हेतु आवेदन 16.11.13 एवं 20.11.13 एवं निदेशालय में उपस्थिति 19.11 से 22.11.13

विषय — मुजफ्फरपुर डिविजन एवं रिजन के साथ बिहार सर्किल द्वारा निदेशालय को गुमराह करने की प्रचलित परंपरा के परिणाम से अहित होकर न्याय हेतु (जिसमें निदेशालय भी उपेक्षित हुई).

महोदय, निदेशालय एवं मंत्रालय से नियम 1991 से आवेदक अधीन PG हियरिंग में A.DG एवं Director महोदय का [illegible] पर विचार करें जो बिहार सर्किल को देनी है।
बिहार सर्किल पटना पत्रांक CPT/PM-07/M02/12-13 दिनांक 31.1.13 के द्वारा भेजा गया पत्र का हवाला अवलोकन करें [illegible] को श्री मनोजकुमार शर्मा ASP Cell-

(A) निदेशालय को FAX 21.11.13 ही दिया।

(B) बिहार सर्किल का पत्र 31.1.13 है क्रम से निदेशालय को [illegible] बिहार सर्किल को भी [illegible] 6.2.13 पर [illegible] ध्यान दें (कि बिहार सर्किल को भी [illegible] दिया गया, अब ASP [illegible]

(C) निदेशालय को केवल 26.2.13 दिया गया [illegible] डिविजन प्रधान को सौंप दिया [illegible] मुझे लगता कि [illegible] [illegible] डिविजन [illegible] का एक उदाहरण [illegible]

(D) [illegible] / [illegible] पर [illegible] का [illegible] ~~[illegible]~~ 23.7.13 को [illegible] है।

अतः प्रार्थना है कि

① यदि बिहार सर्किल के मंतव्य में डिविजन द्वारा यह कहा [illegible] R.T.I. से प्राप्त [illegible] कि मुजफ्फरपुर कोई [illegible] नहीं है तो [illegible] निदेशालय में [illegible] पदाधिकारी [illegible] का प्रमाण नहीं है कि [illegible] [illegible] हुआ है।

(2) यदि बिहार सर्किल यह कहते हैं कि कोई बकाया नहीं है [illegible] पत्रांक 20.3.96 एवं [illegible] भुगतान हेतु, कि स्थिति [illegible] का भुगतान हो चुका है।

नोट — ~~[illegible]~~ स्थानीय अधिकारी द्वारा किया गया व्यवहार का शिकार अक्सर ही होना पड़ता है जैसे PRT Colony में दिनांक 15.5.13 को [illegible] को लेकर मारपीट में मेरा नाम [illegible] की स्थिति में [illegible], इसलिए अधिकारी के व्यवहार का मैं अनेकों बार शिकार हो चुका हूँ। हो सकता है मुझे [illegible] जा सकता है।

प्रतिलिपि ① PMG M02.

(2) CPMG [illegible]

(3) S.S.P. M02.

दिनांक 16.12.13

परमानन्द प्र० मिश्रा

पी.एस. ग्रुप डी

प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर

[illegible]

To be issued in Hindi

RTI MATTER/TIME BOUND

No. A-43020/01/2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

New Delhi, Dated the 14th Feb., 2014

Subject:- Information sought under the Right to Information Act, 2005.

******

Please refer to your application dated 19/12/2013 under RTI Act, 2005 (received in this Ministry on 27/12/2013) wherein you have sought about action taken on the letter, which was forwarded (transferred by the Delhi Police to the Ministry of Home Affairs vide their letter No. 3592/D-1697/13/DIC New Delhi dated 13/12/2013 and 2697/ complaint Branch, New Delhi dated 14/08/2013.

2. It is stated that as per the records of the nodal points in which receive letters in respect of this Ministry, the above-referred letters was not received in their office. Therefore, it would not be possible for this Ministry to furnish any information with reference to your application.

3. The Appellate Authority in this regard is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn.), MHA, North Block, New Delhi.

(Srinibas Pradhan)
Deputy Secretary (A) &CPIO

To

Shri Parmanand Prasad Mishra
Main P.O. Mujaffarpur
Bihar-842001